

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

S.B. Criminal Revision Petition No.1796/2019

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

याची/याचीगण के अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र पारीक।
लोक अभियोजक श्री अतुल शर्मा।

:: आदेश दिनांक :: 21.8.2019

अयाचीगण को नोटिस जारी किए जावे।

अयाची सं. 1 की ओर से विद्वान लोक अभियोजक नोटिस स्वीकार करते हैं, अतः अयाची संख्या 2 को आगामी दो सप्ताह में वापसी योग्य नोटिस जारी किये जावे।

विद्वान अधिवक्ता याची को निवेदन अनुसार नोटिस तामील हेतु दस्ती प्रदान दिया जावे।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति